राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या:- 01/2012

राम रूप जाटव

–अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, मनरेगा, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, सह जिला कार्यक्रम कोर्डिनेटर, झालावाड़।
3. अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झालावाड़।
4. विकास अधिकारी , सह परियोजना अधिकारी, मनरेगा, पंचायत समिति, मनोहरथाना, जिला झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.01.2012
आदेश की दिनांक : 04.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत था। उसका पदस्थापन कनिष्ठ अभियंता ग्राम पंचायत मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में हुआ था। ग्राम पंचायत बनेडा, पंचायत समिति मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में दिनांक 01.04.2008 से 31.12.2009 तक नरेगा योजना के अंतर्गत किये गए एवं करवाये गए कार्यों एवं लेखों तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु विशेष जांच दल गठित किया गया। जांच दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच प्रतिवेदना में दर्शायी गयी अनियमितताओं के आधार पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में आदेश अनुलग्नक-1 पारित किया गया है। जिस आदेश के द्वारा नरेगा कार्य में अनियमितता होना

माना गया है एवं नरेगा कार्य के लिए किये गए भुगतान में से कुछ भुगतान की वसुली अपीलार्थी के वेतन से किये जाने के आदेश पारित किये गए है। अपीलार्थी के वेतन से प्रति माह 5 हजार रूपये की राशि काटे जाने के आदेश दिये गए है, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये उससे वसुली की जा रही है।

2. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है

3. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

4. अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किया जाना उचित नहीं माना है।

5. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्को पर विचार किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी इस अपील में यह अभिकथन किया हैं कि अपीलार्थी के वेतन से प्रतिमाह 5 हजार रूपये वसुल किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी के उपरोक्त अभिकथन का खण्डन प्रत्यर्थी विभाग की ओर से नहीं किया गया है। अत: हम यह पाते है कि अपीलार्थी के वेतन से प्रतिमाह 5 हजार रूपये वसुल किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का

अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।

7. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)